

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ**  
**मध्यप्रदेश**

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/15/1446

भोपाल दिनांक 31 /12/2015

**“आदेश”**

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित स्टॉफ नर्सों को स्वयं के व्यय पर कॉलम क्रमांक 3 की वर्तमान पदस्थापना संस्था से कॉलम क्रमांक 4 में दर्शायी गई संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है -

क्र.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमति रजनी वेदी	जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर	सी.एम.एच.ओ. जबलपुर के अधीन
2	श्रीमति कविता परमार	सिविल अस्पताल शुजालपुर	सी.एम.एच.ओ. सीहोर के अधीन
3	कृ. दीपिका चतुर्वेदी	जिला चिकित्सालय टीकमगढ़	जिला चिकित्सालय सतना
4	माधुरी भारद्वाज	सी.एच.सी. उदयगढ़ जिला अलीराजपुर	जिला चिकित्सालय होशंगाबाद
5	सुश्री सिल्विया लाल	जिला चिकित्सालय शिवपुरी	के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल
6	सुश्री नर्गिस जहाँ खान	सी.एच.सी. भाण्डेर जिला दतिया	सी.एच.सी. सनावद जिला खरगौन
7	सुश्री प्रीति मर्सकोले	जिला चिकित्सालय अलीराजपुर	सी.एम.एच.ओ. सीहोर के अधीन
8	सुश्री शिवकन्या यादव	सी.एच.सी. ठीकरी जिला बड़वानी	सी.एच.सी. मण्डलेश्वर जिला खरगौन
9	सुश्री महिमा सिंह	सी.एच.सी. बसई जिला दतिया	जिला चिकित्सालय सतना

उपरोक्त कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा पेंरिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करें ताकि आदेश निरस्त किया जा सके।
2. संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन/संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्त आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।



4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानान्तरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फ़ैक्स के माध्यम से करें।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)  
संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृक्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/15/1447  
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

भोपाल दिनांक 31/12/2015

1. निज सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. स्टॉफ ऑफिसर प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला नरसिंहपुर/जबलपुर/टीकमगढ़/सतना/शाजापुर/भोपाल/सीहोर/शिवपुरी/दतिया/खरगौन/अलीराजपुर/बडवानी म.प्र. की ओर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करें।
7. अधीक्षक के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल।
8. एम.आई.एस. शाखा स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नरती 2015।

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/15/1301

भोपाल दिनांक 24/11/2015

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिनस्थ संचालित महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड में पदस्थ निम्नलिखित सिस्टर ट्यूटर को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम	स्थानान्तरण का स्वरूप
1	2	3	4	5	5
1	श्रीमती चंद्रावती, भदौरिया	पब्लिक हेल्थ ट्यूटर	म.ब.स्वा.कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया	प्रशासकीय
2	श्रीमती लता शर्मा	पब्लिक हेल्थ ट्यूटर	म.ब.स्वा.कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया	प्रशासकीय
3	श्रीमती विमला सिन्हा	सिस्टर ट्यूटर	म.ब.स्वा.कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया	प्रशासकीय
4	श्रीमती संगीता श्रीवास्तव	सिस्टर ट्यूटर	म.ब.स्वा.कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया	प्रशासकीय

1. स्थानांतरित कर्मचारी को दो सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे । इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य किया जाना संभव होगा, दो सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा ।
2. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है ) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
3. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है ।
4. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैक्स के माध्यम से करें ।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)  
संचालक(नर्सिंग)


संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

पृक्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/15/1302

भोपाल दिनांक 24/11/2015

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, भिण्ड एवं दतिया म.प्र.।
7. प्राचार्य महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भिण्ड एवं जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारियों की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

  
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क० 9/नर्सिंग/सेल-2/2015/1236

भोपाल दिनांक 30/10/2015

आदेश

श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स, प्रतिनियुक्ति पर कमला नेहरू बाल चिकित्सालय गैस राहत विभाग, में कार्यरत की सेवायें मूलतः वापस लेते हुये इन्हें के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।


  
Dea (डॉ. जे.एल. मिश्रा)  
संचालक नर्सिंग  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ. क० 9/नर्सिंग/सेल-2/2015/1237

भोपाल दिनांक 30/10/2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
3. संचालक गैस राहत विभाग म.प्र.।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, भोपाल, म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत विभाग म.प्र. की ओर लेख है कि श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स को तत्काल कार्यमुक्त कर की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भोपाल, म.प्र.।
7. अधीक्षक के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स को तत्काल कार्य पर उपस्थित कराकर की कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री पी.सी. थॉमस प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर बेवसाइट पर प्रकाशित हेतु।
9. श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स प्रतिनियुक्ति पर कमला नेहरू बाल चिकित्सालय गैस राहत भोपाल की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ति।

  
Dea संचालक नर्सिंग  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/15/

भोपाल दिनांक /8/2015

### "आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी को कॉलम क्रमांक 3 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 4 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम	स्थानान्तरण का स्वरूप
1	2	3	4	5
1	श्रीमती गायत्री वर्मा मेड्रन	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडवाह जिला खरगौन	जिला चिकित्सालय देवास	स्वयं के व्यय पर

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैंक्स के माध्यम से करें।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)  
संचालक(नर्सिंग)  
स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

निरंतर .....


//2//

पृकमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/15/959

भोपाल दिनांक 14/8/2015

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए, उज्जैन/इंदौर संभाग मध्य प्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, खरगौन/देवास मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
7. आदेश नस्ती।

  
संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 8 /05/2015

क्रमांक /004 /7762/2014/सत्रह/मेडि-1 : छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर ने उनके पत्र क्रमांक एफ 1-94/10/नौ/17, दिनांक 03 सितम्बर, 2011 द्वारा श्रीमती राजकुमारी जंघेल, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय, मुरार, जिला ग्वालियर की सेवायें इस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की सहमति प्रदान की है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती राजकुमारी जंघेल, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय, मुरार, जिला ग्वालियर की सेवायें अस्थायी रूप से आगामी 03 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर को समान सामर्थ्य में सौंपी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( डॉ. गनो अहमद खॉन )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


भोपाल, दिनांक 8 /05/2015

पु.क्रमांक/CD5 /7762/2014/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें,
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर,
4. जिला कोषालय अधिकारी, ग्वालियर एवं रायपुर (छ.ग.),
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर,
6. श्रीमती राजकुमारी जंघेल, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय, मुरार, जिला ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल



मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /07/2015

क्रमांक. /3791/2013/सत्रह/मेडि-1 : छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 4551/155/2013/नौ/17-1, दिनांक 26 अगस्त, 2013 द्वारा श्रीमती कहकंशा फातिमा, स्टाफ नर्स, जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, शहडोल की सेवायें इस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की सहमति प्रदान की है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती कहकंशा फातिमा, स्टाफ नर्स, जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, शहडोल की सेवायें अस्थायी रूप से आगामी 02 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर को समान सामर्थ्य में सौंपी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( डॉ. पी. आ. अहमद खॉन )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


भोपाल, दिनांक 30/07/2015

पृ.क्रमांक 1689/3791/2013/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें,
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन,
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा संभाग, रीवा,
5. जिला कोषालय अधिकारी, शहडोल एवं रायपुर,
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शहडोल,
7. श्रीमती कहकंशा फातिमा, स्टाफ नर्स, जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, शहडोल की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल